HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1163/2025

Shri Mahendra Singh Son Of Late Shri Nandkishor Ji, Aged About 50 Years, Resident Of Purana Makan No. 1097/32, Khadpura Colony Jadugar Police Station Alwar Gate, Ajmer

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Shri Buddhalal Aaludiya Son Of Late Shri Mannalal, Resident Of Naya Ghar Jagdamba Colony Gulabbari Ajmer

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Munesh Kumar Meena, Adv.
For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP
Mr. Pradeep Bochaliya, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/07/2025

विद्वान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), **क्रम–04,** अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या–**94/2022** में पारित निर्णय दिनांकित **12.04.2023,** जिसके तहत अयाची/परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर याची/अभियुक्त को धारा **138** परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषी करार देते हुए **तीन माह** के साधारण कारावास एवं **2,75,000/–रूपये** का अर्थदण्ड/प्रतिकर अधिरोपित कर दण्डित किया गया, अदम अदायगी/प्रतिकर अर्थदण्ड **01 माह** के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–**343/2024** अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक **15.04.2025** से खारिज की गई, से व्यथित होकर याची/अभियुक्त की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता याची का कथन रहा कि पक्षों के मध्य

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020565152025/truecopy/order-2.pdf

राजीनामा हो चुका है तथा परिवादी को याची द्वारा राजीनामा अनुसार राशि अदा कर दी गई है एवं इस क्रम में लिखित में राजीनामा पत्रावली पर प्रस्तुत है। उक्त राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने पक्षों के मध्य राजीनामा स्वेच्छया से होना बताया है, राजीनामा पत्रावली पर उपलब्ध है तथा रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा उसे तस्दीक किया गया है, अपराध शमनीय है, अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त राजीनामे के आधार पर याची/अभियुक्त को धारा 138 एन. आई.एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाना समीचीन है।

परिणामतः याची की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांकित **12.04.2023 एवं 15.04.2025** अपास्त किया जाता है तथा याची–अभियुक्त को धारा **138** परक्राम्य लिखत अधिनियम के आरोप से जरिए राजीनामा दोषमुक्त किया जाता है।

चूंकि अभियुक्त को जरिए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 259/25 पर अलग से कोई आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /25

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020565152025/truecopy/order-2.pdf